अपनी बेटियों पर

कच्ची उम्र में शादी का बोझ न डालें

आदर्श सभलोक

औरत को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने, उसका शोषण खत्म करने व उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। शादी के समय लड़की की उम्र का उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, उसकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर बहुत असर पड़ता है।

बाल-विवाह की प्रथा की शुरुआत तो कुछ ऐतिहासिक कारणों से हुई थी परंतु अब भी हमारे गांवों में बाल-विवाह होते रहते हैं। राजस्थान के बहुत से गांवों में अभी भी 45 प्रतिशत लड़कियों की शादी 10-14 साल की उम्र में हो जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र होने से पहले ही कर दी जाती है।

राजस्थान में आर्थिक कारणों की वजह से अभी भी तीज के त्यौहार पर सामूहिक बाल-विवाह करने की प्रथा है। उत्तर कर्नाटक में मां-बाप अपनी बेटियों की शादी छोटी उम्र में इसलिए कर देते हैं ताकि उन्हें देवदासी न बनाना पड़े। तमिलनाडू की टोटिल नायकर जाति में पालने में पड़े बच्चों की ही शादियां कर देते हैं। छोटी जाति में गरीबी के कारण मां-बाप अपनी तीन-चार छोटी-छोटी बेटियों की शादी एक साथ ही कर देते हैं।

कई बार मां-बाप लड़की की सुरक्षा के लिए उसकी शादी जल्दी कर देते हैं। गांव में गरीब घरों की लड़कियों को पशु चराने के लिए सारा-सारा दिन अकेले बाहर रहना पड़ता है। यदि गांव में किसी शादीशुदा लड़की का बलात्कार हो भी जाए तो उसके ससुराल वाले लोग उसे अपनाने में नहीं झिझकते, परंतु कुआंरी लड़की का बलात्कार होने से उसका जीवन नष्ट हो जाता है।

इसीलिए मां-बाप अपनी बेटी की शादी छोटी उम्र में कर उसकी देखरेख की ज़िम्मेदारी उसके पति पर डाल देते हैं।

बचपन कहां?

बाल-विवाह करने का कारण कोई भी हो, इससे उन लड़कियों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है जिन्हें कच्ची उम्र में ब्याह दिया जाता है। छोटी उम्र में शादी होने से उन छोटी-छोटी बच्चियों से उनका बचपन छीन लिया जाता है। वह छोटी उम्र जो उनके खेलने व पढ़ने की उम्र होती है, विवाहित जीवन की बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियों के बोझ से दब जाती है।

अक्सर छोटी उम्र की लड़की की शादी किसी बड़ी उम्र के लड़के से या किसी अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कर दी जाती है जिससे कई बार वह लड़की असमय ही विधवा हो जाती है। उसका सारा जीवन दुःख से भर जाता है और उसे ससुराल में नौकरों की तरह रहना पड़ता है।

छोटी उम्र में शादी होने से लड़की जल्दी ही गर्भ धारण कर लेती है जिससे मां व बच्चे दोनों की ही जान को खतरा पैदा हो जाता है। 18 साल की उम्र से पहले लड़की के शरीर का पूरा विकास नहीं होता है। उसके कूल्हे की हड्डियां बच्चा पैदा करने लायक नहीं बन पातीं। इससे उसका बच्चा भी पूरी तरह से पनप नहीं सकता।

18 साल से कम उम्र की लड़की यदि गर्भ धारण कर लेती है तो उस उम्र तक एक तरफ़ तो उसके अपने शरीर का विकास हो रहा होता है, दूसरी ओर गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। अच्छी व पूरी खुराक न मिलने से लड़की के अंदर खून की कमी हो जाती है। इसी कारण वह कमज़ोर बच्चों को जन्म देती है। कई बार जन्म देते समय मां की मृत्यु भी हो जाती है। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जिन लड़कियों की पहली जचगी 20-22 साल की उम्र से पहले होती है, उनमें से 46 प्रतिशत की मृत्यु हो जाती है।

जब भी आप अपनी बेटी के विवाह के बारे में सोचें तो यह विचार ज़रूर कर लीजिए, क्या आपकी बेटी सही अर्थों में शादी के योग्य हो गई है? क्या वह अपने पैरों पर खड़ी होने और सम्मानभरा जीवन जीने के लायक बन गई है?

कानून ने उम्र तय की

बाल-विवाह की प्रथा हमारे देश की लड़कियों की उन्नति के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। हमारी सरकार ने बाल-विवाह की प्रथा को खत्म करने के लिए कानून भी बनाए हैं। बाल-विवाह निरोधक कानून 1929 और 1978 के अंतर्गत शादी के समय लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस कानून के बनने के बाद लड़कों की शादी की उम्र तो बढ़ गई है परंतु लड़कियों की शादी की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं आया। गांवों में तो अभी भी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादियां होती रहती हैं।

छोटी उम्र में शादी करने से हमारी बेटियों का कितना नुकसान होता है, उनकी जान को कितना खतरा पैदा हो जाता है, यह जानने के बाद क्या यह हमारा फर्ज़ नहीं कि हम अपनी बेटियों की शादी छोटी उम्र में न करें?

शादी की उम्र 19-21 साल तक बढ़ाने से लड़की स्कूल में ज्यादा साल तक पढ़ सकेगी, कोई दस्तकारी का काम सीख सकेगी या कोई और हुनर सीख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। इसके साथ ही साथ वह मानसिक व शारीरिक रूप से भी विवाहित जीवन की ज़िम्मेदारियां उठाने के काबिल बन सकेगी।

शादी की उम्र बड़ी होने से पहला बच्चा देर से होगा। लड़की गर्भ धारण कम बार करेगी और दो बच्चों के बीच में सही अन्तर रख सकेगी। इससे लड़की का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और वह स्वस्थ्य बच्चों को जन्म दे सकेगी। कम बच्चे पैदा होने से परिवार में खुशहाली आएगी व इससे देश की जनसंख्या भी कम हो सकेगी।

बचपन में शादी हुई
बच्चे हों हर साल
जर्जर माता हो गई
बालक हैं बेहाल

जागरुकता शिविर

उन गांवों में व उन जातियों में जहां बाल-विवाह की प्रथा सदियों से चली आ रही है, लोगों में जागरुकता लाना बहुत ज़रूरी है। गांवों में संगठन बनाए जाएं, शादी की उम्र बढ़ाने के फायदों पर चर्चा की जाए। इन शिविरों में पंडित, पुजारी व सरपंच भी शामिल हों तो गांव के लोगों के विचार बदलने में आसानी हो सकती है।

शादी से पहले हर लड़की को पढ़ाना व उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। लड़की जितना पढ़ेगी उतनी ही उसकी शादी की उम्र बढ़ेगी और उतना ही उसका समाज में मान बढ़ता जाएगा।

औरत केवल पुरुष की शारीरिक हवस मिटाने का साधन ही नहीं है। ज्यों-ज्यों औरत की शिक्षा बढ़ेगी, परिवार को चलाने में उसका आर्थिक सहयोग बढ़ेगा, त्यों-त्यों औरत की स्थिति में सुधार आएगा, उसका शोषण खत्म होगा व उसे पुरुष के बराबर का स्थान मिल सकेगा।

एक सुझाव

हर शादी को धार्मिक ढंग से करने के अलावा कचहरी में जाकर रजिस्टर करवाना ज़रूरी होना चाहिए। कचहरी में शादी रजिस्टर करवाने से छोटी उम्र की शादियों को रोका जा सकेगा क्योंकि कानून के अनुसार शादी के समय लड़के की उम्र 21 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

शहरों में जहां लड़कियां स्कूल व कालिजों में पढ़ रही हैं वहां तो शादी की उम्र काफी बढ़ गई है। गांवों में भी यदि लड़कियां पढ़ने लगेंगी तो वहां भी शादी की उम्र बढ़ती जाएगी और इस तरह बाल-विवाह की प्रथा को खत्म किया जा सकेगा। **इससे लड़कियों का पारिवारिक जीवन सुधरेगा, उनमें आत्मविश्वास जागेगा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन कर वह सम्मान भरा जीवन जी सकेंगी।** □

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

1.	प्रकाशन का स्थान :	1, दरियागंज, नई दिल्ली–2
2.	प्रकाशन अवधि :	द्विमासिक
3.	मुद्रक का नाम :	शारदा जैन
	राष्ट्रीयता :	भारतीय
	पता :	सेवाग्राम विकास संस्थान, 1, दरियागंज, नई दिल्ली–2
4.	प्रकाशक का नाम, राष्ट्रीयता, पता :	जैसा कालम 3 में दिया है
5.	संपादक का नाम, राष्ट्रीयता, पता :	जैसा कालम 3 में दिया है
6.	व्यक्ति विशेष का नाम व पता जो पत्रिका का स्वामी और साझेदार हो और जो पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक का हिस्सेदार हो	सेवाग्राम विकास संस्थान 1, दरियागंज, नई दिल्ली–2

मैं, शारदा जैन, घोषित करती हूं कि उक्त विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य है।

हस्ताक्षर प्रकाशक
(शारदा जैन)